

प्रति

प्राचार्य/अधिष्ठाता/कुलसचिव
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
जिला सागर

विषय:- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों से शपथ पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

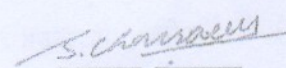
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की शासन के पत्र क्रमांक 2486

दिनांक 01-06-2022 के निर्देशानुसार पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र प्राप्त करें।

सभी विद्यार्थियों के शपथ पत्र (पाठ्यक्रमवार) प्राप्त होने के पश्चात

पालन प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

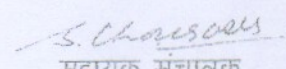
संलग्न- शपथ पत्र का प्रारूप


सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
जिला सागर (मप्र)

पृ.क्रमांक/पि.वर्ग/पो.मै.छा./ 2022-23/318
प्रतिलिपि:-

सागर, दिनांक 2/6/2022

- 1 आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल म.प्र.।
- 2 कलेक्टर जिला सागर।


सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
जिला सागर (मप्र)

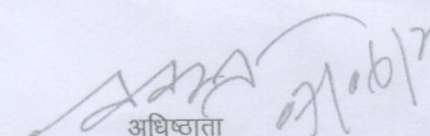


डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

क्रमांक/SC/ST Cell/05/21-22/347
प्रतिलिपि:-

दिनांक 07-06-2022

1. समस्त अधिष्ठाता/समस्त विभागाध्यक्ष, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर- आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. माननीय, कुलपति महोदय जी के सचिव - को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् कुलसचिव महोदय, जी के सचिव - को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईड सेल- आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त संकाय/विभाग के सूचना पलट पर चरप्ता।


अधिष्ठाता
छात्र गतिविधियाँ
डॉ. हरिसिंह गौर वि वि सागर

कार्यालय संस्था जिला

शपथ पत्र

मैं सत्य निष्ठापूर्वक कथन करता हूँ कि मैं
पिता निवास का पता

शैक्षणिक संस्था जिला
(म.प्र.) में नियमित पाठ्यक्रम/कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत हूँ/था
और मेरी कक्षा में नियमित उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक है/रही है।

मैं यह भी कथन करता हूँ कि उक्त कक्षा में पढ़ाई के दौरान मैं किसी भी
शासकीय/अशासकीय सेवा में वेतन/मानदेय/मजदूरी/अवैतनिक/इंटर्न के रूप में किसी
भी सेवा में नियोजित नहीं हूँ/रहा हूँ।

यह कथन मैं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु रवैच्छा से विना किसी दबाव के
कर रहा हूँ तथा उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है। उक्त कथन असत्य होने पर मेरे विरुद्ध
भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर

नाम

एप्लीकेशन आई.डी.

एप्लीकेंट आई.डी.

संस्था प्राचार्य/राजपत्रित अधिकारी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा